





9. आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

क्र.	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

10. क्या आवेदक को पूर्व से कोई पेंशन प्राप्त हो रही है .....

11. क्या आवेदक को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण- पोषण हेतु कोई राशि, अनाज / अन्य सहायता / प्राप्त हो रही है ? यदि हां तो कितनी और किस रूप में है ?  
.....

12. वर्तमान में जीविका का साधन / वार्षिक आय .....

13. आवेदक का बचत खाता

आवेदक/ खाताधारक का नाम	बैंक / पोस्ट ऑफिस का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

**:: घोषणा पत्र ::**

मैं कुमारी/ श्री/श्रीमती ..... पिता/पति.....

..... निवासी ..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ /

करती हूँ कि ऊपर बताई गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरी पेंशन बन्द कर मैंने जो राशि पेंशन के रूप में प्राप्त की है, यह मुझसे शासन द्वारा वसूल की जा सकती है।

14. संलग्न दस्तावेज का विवरण :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



// सत्यापन //

कार्यालय जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद

..... जिला ..... म.प्र.

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/ श्री/श्रीमती .....

पिता/पति ..... निवासी ग्राम/ नगर .....

तहसील / विकासखण्ड ..... जिला ..... द्वारा

जनपद पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद ..... नगर जिला को

प्रस्तुत इंदिरा गांधी वृद्धावस्था / विधवा/ निःशक्त पेंशन योजना के आवेदक पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक की पेंशन स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था/ विधवा/ निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति होने के कारण पेंशन स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था / विधवा/ निःशक्त पेंशन योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

गवाह ( नाम एवं हस्ताक्षर)

1.

2.

नाम /पदनाम / हस्ताक्षर  
जनपद पंचायत / नगर नियम  
नगर पालिका / नगर परिषद द्वारा अधिकृत  
जाँचकर्ता के हस्ताक्षर  
ए.डी.ई.जी./पी.सी.ओ. ....  
ग्राम पंचायत/सेक्टर .....



# इंदिरा गांधी विकलांग / इ. गा. विधवा पेंशन / ई.गा. वृद्धावस्था पेंशन योजना

## जाँच प्रतिवेदन

1. योजना का नाम :- .....
  2. आवेदक का नाम :- .....
  3. पिता/पति का नाम :- .....
  4. जाति वर्ग :- अ.जा. / अ.ज. जा. / अ. पि.व. / अन्य
  5. उम्र :- .....
  6. पता :- .....
  7. इंदिरा गाँधी वृद्धा पेंशन योजना :-
    - अ. 65 वर्ष या अधिक आयु :- .....
    - ( उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करें )
    - ब. बी.पी. एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र) .....
  8. इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना :-
    - अ. 40 वर्ष 64 या अधिक आयु :- .....
    - ( उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करें )
    - ब. बी.पी. एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र) .....
  9. इंदिरा गाँधी निःशक्त पेंशन योजना :-
    - अ. 18 वर्ष 64 या अधिक आयु :- .....
    - ( उम्र प्रमाण पत्र संलग्न करें )
    - ब. बी.पी.एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र) .....
  10. मानसिक रूप से अविकसित बहुविकलांग पेंशन योजना :- .....
  1. 6 वर्ष से अधिक आयु के हैं (प्रमाण पत्र) :- .....
  2. बी.पी.एल.का सर्वे क्रमांक (प्रमाण पत्र) .....
  3. म.प्र. का मूल निवासी
  4. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के अनुसार नि.शक्त का प्रमाण पत्र
- विशेष :- (पात्र/अपात्र).....

सचिव

ग्राम पंचायत .....

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर

ए.डी.ई.जी./पी.सी.ओ.

ग्राम पंचायत /सेक्टर .....